रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—128/91

REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14, 1991 (भाद्रपद 23, 1913)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14, 1991 (BHADRA 23, 1913)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	715
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	1137
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	7
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	1241
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	929
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस .	997
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	2813
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	123
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . .	*

*प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	715
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1137
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1241
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	829
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	997
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2813
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private individuals and Private Bodies .	123
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos, not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1991

सं० 96-प्रेज/91—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राधेश्याम यादव (मरणोपरान्त)
प्लाटून कमांडर,
15वीं बटालियन,
पी० ए० सी० आगरा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 1 मार्च, 1987 को भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर जिले में शामली स्थित 66 कि० वा० के विद्युत उप-सैक्शन का "घेराव" करने की घोषणा की थी तथा इस बात की आशंका थी कि साथ के जिलों के बहुत से समाज-विरोधी तत्व भी किसानों के साथ मिल कर हिंसा करेंगे । उप-सैक्शन की सुरक्षा करने के लिए प्लाटून कमांडर, राधेश्याम यादव तथा उसके जवानों सहित पी० ए० सी० के कुछ अधिकारियों और कार्मिकों को वहां तैनात किया गया । करीब 2.15 बजे अपराह्न, घातक हथियारों से लैस एक हिंसक और उपद्रवी भीड़ ने उप-सैक्शन को घेर लिया तथा वह पुलिस का घेरा तोड़ कर उस सब-सैक्शन को नष्ट करने की जिद में थे । अपनी जान को जोखिम में डालते हुए श्री राधेश्याम यादव ने हिंसक भीड़ का सामना किया तथा उसे (भीड़) उप-सैक्शन के अन्दर प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया । भीड़ ने श्री यादव पर घातक हथियारों से आक्रमण किया, जिससे श्री यादव के सिर में घातक चोट लगी और वे विषम परिस्थितियों के बावजूद, निडर होकर हिंसक भीड़ का सामना करते हुए तथा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राण त्याग कर गिर पड़े । श्री यादव के नेतृत्व में अन्य पुलिस कार्मिक सब-स्टेशन को भीड़ से बचाने में सफल हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री राधेश्याम यादव ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 मार्च, 1987 से दिया जाएगा ।

सं० 97-प्रेज/91—राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री शंकर महादेव बिदारी
पुलिस अधीक्षक,
बेलारी ।

श्री एम० टी० हनुमनथप्पा (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल,
बेलारी ग्रामीण पुलिस स्टेशन ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 13 सितम्बर, 1990 को श्री शंकर महादेव बिदारी, पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि आन्ध्र प्रदेश के नक्सली भिमप्पा नायक नामक एक आतंकवादी, जिसकी पुलिस को तलाश थी अपने साथियों तथा दो महिलाओं सहित मुन्द्रिगी गांव के एक फार्म हाउस में छिपा हुआ है। उन्हें यह भी पता चला कि उस फार्म हाउस के दूसरे भाग में भोले-भाले मजदूरों का एक परिवार ठहरा हुआ है, जिसमें मजदूर के वेश में एक आतंकवादी छिपा हुआ था और वह 15 सितम्बर, 1990 की सुबह आन्ध्र प्रदेश को जाने की योजना बना रहा था ।

16 सितम्बर, 1990 को श्री तिवारी, एस० सी० हनुमनथप्पा, हैड कांस्टेबल सहित, एक पुलिस दल के साथ आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए फार्म हाउस की ओर रवाना हुए। श्री तिवारी ने अपने दल को तीन ग्रुपों में विभाजित किया। पुलिस द्वारा फार्म हाउस को घेर लेने पर मजदूरों ने शोर मचाया, जिससे आतंकवादी सतर्क हो गए। पुलिस दल ने धावा बोलकर तुरन्त दरवाजा खोल दिया और आतंकवादी तथा उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए अन्दर घुसने की कोशिश की। आतंकवादी विमला नायक ने एक महिला को अपने आगे करके अचानक पुलिस दल पर गोली चलाई। आतंकवादी द्वारा गोली चलाये जाने के कारण श्री हनुमनथप्पा तथा उसके तीन अन्य साथी घायल हो गए। श्री तिवारी ने आतंकवादी को दाएं हाथ की ओर से धक्का दिया और आतंकवादी ने अचानक बाईं ओर घूमते हुए श्री तिवारी पर गोली चलाई। इस प्रक्रिया में श्री तिवारी की बाईं कोहनी गोली लगने से जख्मी हो गई और वे उन दो गोलियों से बाल-बाल बचे, जो सनसनाती हुई दाएं कन्धे से निकल गईं। चूंकि आतंकवादी एक महिला की आड़ में छिपा हुआ था, इसलिए पुलिस दल तत्काल गोली के बदले गोली नहीं चला सका। इसी बीच एक उप-निरीक्षक की दाहिनी तर्जनी पर गोली लगी और उसकी राइफल नीचे गिर गई। श्री तिवारी ने तुरन्त राइफल पकड़ ली तथा उसे आतंकवादी के हाथ पड़ने से बचा लिया। उसके बाद पुलिस दल ने हाउस की ओर गोली चलाई। आतंकवादी खिड़की से पुलिस दल पर गोली चला रहा था और वह बाहर से साफ-साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ क्षण बाद अन्दर की ओर से गोली चलनी बन्द हो गई। पुलिस दल ने आतंकवादी को आत्म-समर्पण करने के लिए चेतावनी दी। कुछ समय बाद आतंकवादी ने पुलिस दल पर एक गोला फेंका परन्तु सौभाग्यवश वह गोला नहीं फटा। मुठभेड़ कुछ मिनट तक जारी रही, अन्ततः श्री तिवारी द्वारा चलाई गई एक गोली विमला के गले में लगी और वह दरवाजे के नजदीक नीचे गिर गया। पुलिस दल अन्दर गया और उसे आतंकवादी मरा हुआ मिला। मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैड कांस्टेबल, श्री एस० सी० हनुमनथप्पा की जख्मों के कारण बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गयी।

इस मुठभेड़ में श्री एस० एम० तिवारी, पुलिस अधीक्षक तथा श्री एस० सी० हनुमनथप्पा हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च-कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 सितम्बर, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 1991

आदेश

विषय :—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को बी–142 संरचना के अपतट के 110 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ–12012/17/91–ओ० एन० जी०/डी०–4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 नियम 5 के उप-नियम (1) धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसे इसमें इसके बाद आयोग कहा गया है) बी–142 संरचना के अपतट के 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना के लिए एक पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए 22 अप्रैल, 1991 (22–4–1991) से चार वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है जिसके विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के सम्बन्ध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ इसकी सूचना केन्द्र सरकार को देगा।

(ग) राजस्व (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर दी जायगी :

(I) समस्त आसोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 314/- रुपये प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(II) प्राकृतिक गैस के मामले में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार होंगी।

राजस्व (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों के पिछले माह में प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उस का कुल उचित मूल्य दर्शाते वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गये प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50,000 रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के सम्बन्ध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जायगी —

(1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 8/— रुपये

(2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 40/— रुपये

(3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 200/— रुपये

(4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 400/— रुपये

(5) लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 600/— रुपये

(छ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम II के उप नियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग किये जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषणों के दौरान पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट, गुप्त रूप से देकर तथा हर 6 महीने में लिखित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, वेधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलछटी और या उसकी सतह पर आग बुझाने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भरकर देगा जो समुद्रीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथीमीट्रिक तलही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े तथा सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा ।

(ड) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ।

(ढ) संपूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं ।

(ण) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण शुरू करने से पूर्व उसका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो ।

(त) इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों की तैयारी की गई संपूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ।

अनुसूची "क"

बी—142 संरचना के अपतट के 110 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक निर्देशांक

पाइंट	देशान्तर	अक्षांश
ए	19° 26′ 00″	71° 33′ 00″
बी	19° 26′ 00″	71° 40′ 00″
सी	19° 20′ 00″	71° 40′ 00″
डी	19 20′ 00″	71° 37′·00″
ई	19° 22′ 00″	71° 37′ 00″
एफ	19° 22′ 00″	71° 33′ 00″

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, केसिंग हेड कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण के लिए पट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

क. अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख. केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग. प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद् द्वारा मैं श्री .... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से और सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

हस्ताक्षर————————

दिनांक 19 अगस्त 1991

आदेश

विषय :—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग काकीनाडा अपतटीय क्षेत्र के के०जी०–ओ०एस०– अपतटीय कृष्णा गोदावरी बेसिन 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ–12012/49/90–ओ० एन० जी० डी०–4— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून को (जिसे इसमें इसके पश्चात आयोग कहा गया है) के०जी०–ओ०एस०–vii अपतटीय ब्लाक क्षेत्र के कृष्णा गोदावरी बेसिन में 4000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की 17 जुलाई, 1990 (17-7-1990) से 4 वर्ष के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के सम्बन्ध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर दी जायगी :—

(i) समस्त आशोधित तेल केसिंग हैड कन्डेन्सेट पर 314 रुपये प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी।

स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह में प्राप्त समस्त आशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कन्डन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50,000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के सम्बन्ध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जायेगा :—

(1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 8/- रुपये

(2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 40/- रुपये

(3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 200/- रुपये

(4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 400/- रुपये

(5) लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 600/- रुपये

(छ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग किये जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर 6 महीनों में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिक्षणों, अध्ययन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलछटी और या उसकी सतह पर आग बुझाने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) एवं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भरकर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) क्षेत्र को विभाजित किया जाए तथा सर्वेक्षण चरणों में किए जाएं ।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि वे ऐसे कार्य को वास्तव में आरम्भ करने के पूर्व पूर्वी नौसेना कमान्ड विशाखापत्तनम मुख्यालय को किए जाने वाले अन्वेषण कार्य के विवरण के साथ-साथ कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दें ।

(ढ) आयोग यह सुनिश्चित करे कि सर्वेक्षण के दौरान पेट्रोलियम के अन्वेषण के लिए अपेक्षित आंकड़ों के अतिरिक्त अन्य कोई आंकड़ा एकत्र न किया जाए तथा प्रक्रिया के दौरान एकत्रित आंकड़ों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करे ।

(ण) सर्वेक्षण के दौरान रिकार्ड किए गए, भौतिकी समुद्र वैज्ञानिकी आंकड़ों, समुद्र के भीतरी परत के आंकड़ों तथा चुम्बकीय मापों को भारत में विकसित तथा विश्लेषित किया जाएगा तथा उसे किसी विदेशी एजेंसी को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा ।

(त) सर्वेक्षण के आरम्भ/समाप्ति के सम्बन्ध में नौसेना मुख्यालय को बहुत पहले सूचित किया जाता है ।

(थ) अगर इच्छित हो तो एन० ओ० डी०/एन० एच० क्यू० को सर्वेक्षण आरम्भ होने के पूर्व पोत की जांच करने की अनुमति दी जाएगी ।

(द) सर्वेक्षण के लिए भाड़े पर ली गई पोत में लगे उपस्करों का विवरण एन० एच० क्यू०/डी० एन० ओ०एस० को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(ध) अगर मांगा जाए तो अपरिष्कृत तथा संसाधित आंकड़ों को एन० डी० डी/एन० एच० क्यू०/को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ।

अनुसूची "ख"

केजी—ओ एस—III अपतटीय ब्लाक क्षेत्र के कृष्णा गोदावरी बेसिन में 4000 वर्ग कि. मी. क्षेत्र के लिए भौगोलिक निर्देशांक

प्वाइंट	अक्षांतर	देशान्तर
ए	17° 00′ 00″	83° 00′ 00″
बी	17° 00′ 00″	83° 20′ 00″
सी	17° 40′ 00″	83° 23′ 30″
डी	17° 22′ 00″	83° 35′ 30″

अनुसूची "ख"

अशोधित तेल, केसिंग हैड कण्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उनके मूल्य सहित मासिक विवरण, के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

(क) अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) केसिंग हैड कण्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री ·························सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण और सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर··············

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर

मेल्विन मार्टिन
डैस्क अधिकारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम और खेल विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 1991

सं० 24–2/86–ने०वाई०के०/वाई०एस०—I–राष्ट्रपति, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के शासी निकाय में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं :—

1. कुमारी ममता बनर्जी को अध्यक्ष (पदेन) के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल के प्रभारी राज्य मंत्री के रूप में उनकी हैसियत से।

2. श्री उदयन शर्मा को उपाध्यक्ष के रूप में।

शासी निकाय के सदस्यों को अलग से अधिसूचित किया जायेगा।

सोमितदास, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 28th August 1991

No. 96-Pres/91—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Radhey Shyam Yadav, (Posthumous)
Platoon Commander,
XV Battalion, PAC,
Agra.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 1st March, 1987 Bhartiya Kisan Union had announced 'Gherao' of 66 K. V. Electric Sub-Section Shamli, District Muzaffarnagar and it was apprehended that a large number of anti-social elements from the neighbouring district would also mingle with the Kisans and create violence. A posse of PAC men and officers including Shri Radhey Shyam Yadav, Platoon Commander alongwith his men were deputed to guard the Sub-Section. At about 2.15 P.M. a violent and riotous mob armed with deadly weapons surrounded the Sub-Section and was bent on destroying it breaking the Police cordon Shri Radhey Shyam Yadav at great risk to his life faced the violent mob and tried to stop it from entering the Sub-Section. The mob attacked Shri Yadav with deadly weapons, causing fatal head injuries and Shri Yadav fell down dead in the performance of his duties while fearlessly facing the violent mob despite heavy odds. The other Police personnel under the leadership of Shri Yadav succeeded in saving the Sub-Station from the mob.

In this incident Shri Radhey Shyam Yadav, Platoon Commander displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st March, 1987.

No. 97-Pres/91—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Karnataka Police ;—

Name and rank of the Officer

Shri Shankar Mahadev Bidari,
Superintendent of Police,
Bellary.

Shri M. C. Hanumanthappa, (Posthumous)
Head Constable,
Bellary Rural Police Station.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 13th September, 1990 Shri Shankar Mahadev Bidari, Superintendent of Police, Bellary received information that one Nakali Bimla Naik, a Wanted terrorist of Andhra Pradesh was hiding in a farm house in village Mundrigi with his associates and two women. He also learnt that a family of innocent labourers was also staying in another portion of the farm house, in which the terrorist was staying in the guise of a doctor and he was planning to leave for Andhra Pradesh on the morning of the 15th September, 1990.

On the 15th September, 1990 Shri Bidari alongwith a Police party including Head Constable, M. C. Hanumanthappa, Proceeded towards the farm house to arrest the terrorists. Shri Bidari divided his men into three groups. When the Police cordoned the farm house, the labourers made a noise which alerted the terrorist. The Police Party immediately kicked opened the door and tried to enter the house to arrest the terrorist and his associates. Suddently terrorist Bimla Naik while keeping a woman in front of him, fired at the Police Party. As a result of this Shri Hanumanthappa and three others received bullet injuries. Shri Bidari pushed the right hand of the terrorist who suddently swung to the left and fired at Shri Bidari. In the process Shri Bidari suffered a bullet injury on his left albow and escaped from two bullets which whizzed pass his right shoulder. Since the terrorist took cover of woman, the police party could not return the fire instantly. In the meantime, one bullet hit a Sub-Inspector on his right fore finger and his rifle fell down. Shri Bidari immediately pulled out the rifle and preventefld it from falling into the hands of terrorist. Then the police party fired towards the house. The terrorist was firing on the police party through the window and was not clearly visible from outside. After a few moments the firing from inside stopped. The police party warned the terrorist to surrender. After sometime the terrorist threw

a grenade on the Police party, but luckily it did not explode. The encounter lasted for few minutes, ultimately a bullet fired by Shri Bidari hit Bimla in the back and he fell down near the door. The Police party went inside and found the terrorist dead. Shri M. C. Hanumanthappa, Head Constable who was injured during the encounter later succumbed to his injuries in the Hospital.

In this encounter Shri Shankar Mahadev Bidari, Superintendent of Police and Shri M. C. Hanumanthappa, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th September, 1990.

A. K. UPADHYAY,
Director

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 13th August 1991

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for B-142 structure offshore area measuring 110 sq. kms.

No. O-12012/17/91-ONG D.V.—In exercise of the powers *conferred by clause (i) of sub-rule (1)* of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission), a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 22nd April, 1991 (22-4-1991) for B-142 structure offshore area measuring 110 sq.kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :

(a) The Exploration Licence should be in respect of petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 314/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time. The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and Natural Gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/- as security as required by rule 11 of the P & NG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :—

(i) Rs. 8/- for first year of the licence;

(ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 600/- for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two months' notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, Bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The Commission should ensure security of oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Foreign vessels of deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialist Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

SHEDULE 'A'

Geographical Coordinates of B-142 structure offshore area measuring 110 sq. kms.

Points	Latitude	Longitude
A	19° 26′ 00″	71° 33′ 00″
B	19° 26′ 00″	71° 40′ 00″
C	19° 20′ 00″	71° 40′ 00″
D	19° 20′ 00″	71° 37′ 00″
E	19° 22′ 00″	71° 37′ 00″
F	19° 22′ 00″	71° 33′ 00″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas

Producted and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A.—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head condensate

Total Number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total Number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purpose of petroleum exploration approved *by the Central Government*	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri——————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India

————————

(Signature)

The 19th August 1991

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for Krishna Godavari Basin offshore KG-OS-VII Block area measuring 4000 sq. kms. (Kakinada offshore)

No. O-12012/49/90-ONG D IV:—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Rules 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehra Dun (herein after referred to as Commission), a Petroleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four years from 17th July, 1990 (17-7-1990) for Krishna Godavri Basin offshore KG-OS-VII Block area measuring 4000 sq. kms., the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 314/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Department of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence.

(i) Rs 8/- for the first year of the licence;

(ii) Rs 40/- for the Second year of the licence;

(iii) Rs 200/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;

(v) 600/- for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during of the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government

(l) The area be segmented and the survey be conducted in a phased manner.

(m) ONGC be directed to give HQrs Eastern Naval Command Vishakhapatnam at least one month's notice, along with the details of the scope of exploration work intended to be undertaken, prior to such work actually being progressed.

(n) ONGC to ensure that no data other than required for petroleum exploration is collected during the survey and take adequate measures to ensure that security of data collected during the process

(o) Physical oceanographic data, seabed sediments data and magnetic measurements recorded during the survey are to be progressed and analysed in India and the same is not made available to any foreign agency.

(p) NHQ is to be informed well in advance of the commencement/termination of the surveys

(q) MOD/NHQ will be permitted to inspect the ship prior to commencement of survey, if so desired.

(r) Details of equipment fitted on board ship chartered for survey are to be made available to NHQ/DNOM

(s) A set of raw as well as processed data is to be made available to MOD/NHQ, whenever asked for, free of cost

SHEDULE 'A'

Geographical coordinates of Krishna Godavari Basin offshore KG-OS-VII Block area measuring 4,000 sq. kms. (Kakinda offshore).

Point	Latitude	Longitude
A	17° 00′ 00″	83° 00′ [illegible]
B	17° 00′ 00″	82° 20′ 00″
C	17° 40′ 00″	83° 23′ 30″
D	17° 22′ 00″	83° 35′ 30″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas

Produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A.—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government.	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head condensate

Total Number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total Number of cubic Metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri——————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true

By order and in the name of the President of India

(Signature)

M. MARTIN, Desk Officer

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS)

New Delhi, the 19th July 1991

No. 24-2/86-NYK/YSI.—The President is pleased to appoint the following persons to the Board of Governors of the Nehru Yuva Kendra Sangathan

(i) Kumari Mamta Banerjee as Chairperson (ex-officio) in her capacity as Minister of State incharge of Youth Affairs and Sports.

(ii) Shri Udayan Sharma as Vice-Chairman

The Members of the Board of Governors will be notified separately

SOMIT DAS GUPTA, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi, 1991